

- ◆ एक आम प्रतिरूप नागरिक अधिकार पत्र का सभी 343 चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये बनाया गया है जो कि आम जनता के अधिकारों एवं सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी के लिये आवश्यक है।

### कार्यशालायें :

परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्तर, सम्भागीय, जिला स्तर पर कार्यशालायें आयोजित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य स्टेक होल्डर्स, गैर सरकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं को परियोजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना व संवेदनशील करना है।

### परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यक्रम :

राज्य में साधनों की कमी तथा कठिन वातावरणीय परिस्थितियों के कारण राज्य के नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको पूर्ण करने हेतु राज्य का परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। राज्य में (टी.बी.) क्षय रोग, मलेरिया, अन्धता, एडस आदि रोगों पर नियन्त्रण तथा कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाये जा रहें हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व, शिशु – मृत्यु दर और मातृ- मृत्यु दर में कमी लाने के विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से निम्न सेवाओं का सुदृढीकरण करने का प्रयास किया जायेगा, जिससे आम लोगों को लाभान्वित किया जाये:-

### **मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष :**

यह कार्यक्रम वर्ष 1999-2000 में शुभारम्भ किया गया, इसके द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज के लिये सहायता दी जाती है। बी.पी.एल. कार्डधारियों के इलाज हेतु स्वीकृत राशि सम्बन्धित अस्पताल/मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को भेजी जाती है, जिससे सम्बन्धित रोगी मुफ्त इलाज करा सकता है।

### **मुख्यमंत्री सहायता कोष :**

इसके अन्तर्गत जो व्यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी नहीं है, जिसकी वार्षिक आय 24,000/- रूपयों से अधिक नहीं है, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे हृदय रोग, किडनी, कैंसर आदि।

### **मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी :**

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन राज्य की जनता को स्वास्थ्य जाँच एवं विशेषज्ञों की सस्ती दर सेवाओं के लाभ के लिये किया गया है। इसमें अर्जित आय में से 25 प्रतिशत राशि बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क दवाईयों उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। विधवाओं, अनाथों, दुर्घटनाग्रस्त रोगियों, लावारिस कैदी, 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है।

### **जनमंगल योजना :**

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में जनसंख्या स्थायित्व व शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर में कमी लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जनमंगल योजना चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जनमंगल दम्पति द्वारा अपने गांवों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तथा लिंग संवेदशीलता के बारे में समझ विकसित कर सकें, साथ ही अन्य राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी दे सकें तथा समुदाय में प्रजनन जागरूकता लाकर अंतराल साधनों का प्रचार-प्रसार कर योग्य दम्पतियों को उपलब्ध करवा सकें।